

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक:

12015 निगरानी  
II/ निगरानी/विच्छ/भूख/2018/1380

- १- मुन्नीदेवी देववा पत्नी जगदीश नारायण शर्मा,
  - २- कमला शर्मा पत्नी सुरेश नारायण शर्मा,
- निवासी गण सिडकिया मोहल्ला, मिह-सैहसील व जिला मिह-मध्य प्रदेश ।

----- प्राधीगण

बिराध

- शिवेन्द्र चौधरी पुत्र सुखदनलाल चौधरी,
- निवासी कासा बाजार, मिह-सैहसील व जिला मिह-मध्य प्रदेश ।

----- प्रतिप्राधी

निगरानी बिराध कार्यवाही ठीक एवं जादा दिनांक २८-११-१७, अधीदाक, मू-अभिलेख मिह प्र०५० एम०००५०नि०।सी । २०१७।१७०६ अन्तर्गत धारा १० मध्यप्रदेश मू-राजस्व संहिता, १९१६ ।

श्रीमान् जी,

निगरानी का प्राध्या-पत्र निम्न वाचारा पर प्रस्तुत है:-

१- यह कि, प्रतिप्राधी द्वारा क्लैक्टर महादय, मिह का सम्बन्धित प्राध्या पत्र में विवादित भूमि स्थित मिह सर्वे क्रमांक २२६३ का सीमांकन अधीदाक, मू-अभिलेख मिह ठदारा करायै जानै के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है ।

२- यह कि, विवादित भूमि सर्वे क्रमांक २२६३ के सै.सकी हुई भूमि सर्वे क्रमांक २२६५ प्राधीगण के भूमि स्वामित्व की भूमि है,जा सीमांकन कार्यवाही में प्रमाक्ति हुई है ।

श्री २४ के कोणा  
द्वारा आज दि. २५/२/१८  
प्रस्तुत। प्राध्याक तक  
दिनांक ६/३/१८ निम्न।  
श.प्र. मण्डल, ग्वालियर


२४/२/१८

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/भिण्ड/भू.रा./2018/1380

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अधीक्षक भू-अभिलेख के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अधीक्षक भू-अभिलेख द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-4-19 को कलेक्टर, जिला भिण्ड के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	